

वित्तीय दिशा निर्देश 2012-13

कार्यक्रम का नाम : परिवार नियोजन (महिला/पुरुष सरकारी अस्पतालों में बंध्याकरण/नसबंदी के लिए क्षतिपूर्ति राशि) "Compensation for Female Sterilization"

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष- A.3

बजट क्रम संख्या : एफ०एम०आर० कोड संख्या - A.3.1.4

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण

इसके तहत परिवार नियोजन की सुविधा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को बंध्याकरण हेतु रू० 600/-

इकाई राशि - निम्नवत्

सरकारी अस्पतालों के लिए :

कार्यक्रम	कुल राशि	ऑपरेशन कराने वाले लाभार्थी	सर्जन	एनेस्थेटिस्ट	स्टाफ नर्स	ओ० टी०	दवाईयाँ / ड्रेसिंग	अल्पाहार आदि	कैम्प प्रबंधन	प्रेरक
बंध्याकरण	1000	600	75	25	15	15	100	10	10	150

वित्तीय दिशा निर्देश : पत्र संख्या सं० एस०एच०एस०बी०/पी०एम०/42/2005/4438 दिनांक : 26.09.2007 एवं एस०एच०एस०बी०/एम०सी०एच०/275/26152 दिनांक 13.05.2011 के माध्यम से इस गतिविधि के लिए दिशा निर्देश भेजी गई है वर्तमान में भी इसी दिशा निर्देश का अनुपालन किया जाएगा।

Note: Quality of all camps to be maintained as per satisfaction of the District Level Quality Assurance Committee. (Red & Blue books may be referred)

Check List : Red Book का Annx. 1.

इस संदर्भ में यदि पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र संख्या तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) संचिका सं० एस०एच०एस०बी०/पी०एम०/42/2005/4438 दिनांक : 26.09.2007

(ख) संचिका सं० एस०एच०एस०बी०/एम०सी०एच०/275/26152 दिनांक 13.05.2011

संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का नाम - डॉ० ए. के., शाही, /सुबोध जायसवाल
संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/उप-निदेशक का फोन नं० : 9470003017, 9431005971

SKumar

[Signature]

[Signature]